

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 326 / 2022

तारीख रजू :- 15-11-22

दावा बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2022/687

उनवान

अवतारनारायण पुत्र कल्याणप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी सहोदरा होटल स्टेशन रोड
हिण्डौन सिटी जिला करौली राजस्थान

—वादीगण-03

बनाम

कैलाशचन्द पुत्र रघुवीरशरण जाति ब्राह्मण निवासी काना हनुमान पाडा हिण्डौन सिटी
जिला करौली राजस्थान

—प्रतिवादीगण-13

दिनांक	फर्द अहकाम	
15/11/22	<p>यह दावा वादी की ओर से श्री नरेन्द्र सिंह जादौन एडवोकेट के जरिए पेश हुआ, प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 28.11.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(सुरेश कुमार हरसोलिया) उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली</p>	
28/11/22	<p>बहुलाय उपरिधत/पीअरसील अधिकारी समक्ष में पत्रावली दिनांक 28/11/22 को पेश की गई है। गतानुसार दिनांक.....को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">9-1-23</p>	<p>प्रतिवादी-13 की ओर से 8-1-23 को पेश की गई है।</p>
9/1/23	<p>पत्रावली पेश हुई। गरीब वकील उपस्थित। गरीब वकील ने अवगत कराया कि गरीब वकील को पत्रावली पेश करने में देर लगी है। वादीगण को पत्रावली पेश करने में देर लगी है।</p> <p>अट: सुं० 328/22 दावा अवतारनारायण बनाम कैलाशचंद नीटपैय मैशारिफ किता जात है। पत्रावली फैसल कुमार से 31 अक्टूबर से कम है।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)</p>	<p>M. J. Sharma</p>